रखते हो । इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुये, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अप्रैल, 1982 में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं कि केवल वास्तविक स्वतन्त्रता सैनानी ही उपर्युक्त रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकें । सरकार केवल यही कार्रवाही कर सकती है कि आवेदकों को पेंशन स्वीकृत करने के उद्देश्य से ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर निर्भर नहीं रहे हैं , जब तक कि दावे के समर्थन में अन्य साक्ष्य नहीं हो ।

Development of Manganese ore in the Country

2797. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the steps taken by Government for the development of manganese ore in the country since January, 1983;

(b) what is its production at present and its requirement in the country;

(c) the number of new ferro-manganese plants proposed to be set up; and

(d) the names of places where they are likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE): (a) Exploration work by Geological Survey of India (GSI) in manganese bearing areas of the country continues. Managanese Ore (India) Limited (MOIL) are also undertaking exploration work in their lease hold areas in Adilabad, A.P., in Kandri-Munsar area and Gumgaon—Beldongri mines. MOIL have also proposed to undertake exploration to prove additional resources of high grade ore in Balaghat region.

(b) The production of manganese ore as reported by Indian Bureau of Mines (IBM) is as follows:—

1981	..	15,25,000 tonnes
1982	..	14,48,000 tonnes

The consumption of manganese ore in 1980 as reported by IBM was 949,000 tonnes.

(c) and (d). MOIL have a proposal to set up a ferro manganese plant in Balaghat district of M.P.

संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र की बैठक

2798. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से आयोजित नहीं की गई है और उनकी मांगें कब से विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार कर्मचारियों की यूनियन ने मांग की है कि संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र को तोड़ दिया जाये क्योंकि यह सन्तोषजनक रूप से काम नहीं कर रही ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राष्ट्रीय परिषद् के अतिरिक्त बहुत सी विभागीय परिषदों और कार्यालय/क्षेत्रीय परिषदों जैसी संयुक्त परिषदों के समक्ष प्रस्तुत विवादों पर विचार-विमर्श करने और पारिश्रमिक बातचीत से उनका समाधान करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों में ऐसी परिषदों की अनेक बैठकें हुई हैं । आपसी बातचीत द्वारा समझौते पर पहुंचने के लिए राष्ट्रीय परिषद् की उप-समितियों, मंत्रियों की समिति और राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी

पक्ष की स्थायी समिति की भी बहुत सारी बैठकें बुलाई गई थीं । इसके अतिरिक्त अनिर्णीत विवादों के समाधान के लिए कर्मचारी पक्ष के सदस्य राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष (मंत्रिमंडल सचिव), वित्त सचिव, कार्मिक सचिव आदि के साथ कभी-कभी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भी मिलते रहते हैं । इन उपायों से बहुत से महत्वपूर्ण विवाद वस्तुतः निपटा लिए गए हैं । तथापि जैसा कि ऐसे मामलों में प्रायः होता है संयुक्त परामर्श तंत्र में कुछ मांगों पर कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत चलती रहती है तथा सरकार उन पर विचार करती रहती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री के अधीन मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा

2799. **श्री राम विलास पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रभाराधीन प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरा कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जानबूझ कर नियुक्त नहीं करते है जबकि ऐसे योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं ; और

(च) यदि हां, तो उन अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गयी है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (च). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Details of Mica Mines

2801. SHRI N. DENNIS: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the details of the places, State-wise where mica mines are found;

(b) the total quantity of mica produced during the last three years, State-wise;

(c) whether there are mica mines in the public sector; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE): (a) Mica Mines are mainly found in the districts of Giridih, Hazaribagh, Monghyr, Bhagalpur and Nawadah in Bihar, in the districts of Ajmer, Bhilwara, Tonk and Udaipur in Rajasthan and Nellore district of Andhra Pradesh. A few mines are also found in Nigiries District of Tamil Nadu.